संख्या-9/2019/218/38-6-19-8(एसआरएलएम)/2018टीसी

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक- 28मार्च, 2019

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान सं0-83(अनुसूचित जाति मद) में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश अवमुक्त किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्र सं0-4895/ एनआरएलएम/बजट-टीसी-1096/2018-19, दि0-28.02.2019 एवं पत्र सं0-6081/ एनआरएलएम/ बजट-टीसी-1096/2018-19, दि0-15.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान सं0-13(सामान्य मद) में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बैंक खाते में भारत सरकार के पत्र सं0-के-11011/03/2016/एमकेएसपी-एएपी/यूपी/ लाइवलीहुड दि0-31.12.2018 द्वारा सीधे केन्द्रांश की धनराशि रू0-551.22 लाख अवमुक्त की गयी है उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत रू0-400.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र दि0-31.12.2018 द्वारा मिशन के बैंक खाते में सीधे अवमुक्त केन्द्रांश रू0 551.22 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-367.48 लाख (रूपये तीन करोड़ सरसठ लाख अडतालीस हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(2) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा-निर्देश तथा राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरणआदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

(8) भारत सरकार के पत्र दि0-31.12.2018 में अंकित दिशा निर्देशों/शर्तों का पूर्णत: अनुपालन किया जाएगा।

(9) स्वीक़त की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दि0-30 मार्च, 2018 एवं संबंधित अन्य संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय के दौरान प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो,सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-268(1)/दस-2018, दि0- 28 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-9/2019/218(1)/38-6-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।